न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 108/2023

उनवान

1. नारायण पिता स्व0 श्री मांगीलाल सेन नि0 कान्याखेडी तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
2. जगदीश पिता स्व0 श्री मांगीलाल सेन नि0 कान्याखेडी तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
3. देउ देवी पुत्री स्व0 श्री मांगीलाल सेन नि0 कान्याखेडी तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
4. मनोहर देवी पुत्री स्व0 श्री मांगीलाल सेन नि0 कान्याखेडी तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
5. सन्तोष देवी पुत्री श्री मांगीलाल सेन नि0 कान्याखेडी तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
6. लहरी पत्नि श्री मांगीलाल सेन नि0 कान्याखेडी तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाशचन्द्र पिता लादुलाल गुर्जर नि0 कान्याखेडी तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
2. किशना पुत्र मगना गुर्जर नि0 कान्याखेडी तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
3. नानु पिता माना गुर्जर नि0 कान्याखेडी तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
4. बरदा पुत्र माना गुर्जर नि0 कान्याखेडी तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
5. मनभरी पुत्री लादुलाल गुर्जर नि0 कान्याखेडी तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
6. रतनी देवी पत्नि लादुलाल गुर्जर नि0 कान्याखेडी तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
7. सुगना पुत्री लादुलाल गुर्जर नि0 कान्याखेडी तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
8. सम्पत पुत्री माना गुर्जर नि0 कान्याखेडी तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
9. कालु पुत्र देवा गुर्जर नि0 कान्याखेडी तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
10. रतनलाल पिता देवा गुर्जर नि0 कान्याखेडी तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
11. आरती पत्नि हिम्मत गुर्जर नि0 कान्याखेडी तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
12. सुमन देवी पत्नि घनश्याम वैष्णव नि0 कान्याखेडी तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
13. जगदीश पिता स्व0 श्री कालु गुर्जर नि0 कान्याखेडी तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
14. आशा पुत्री स्व0 श्री कालु गुर्जर नि0 कान्याखेडी तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
15. मेमा पुत्री स्व0 श्री कालु गुर्जर नि0 कान्याखेडी तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
16. प्रेम पत्नि स्व0 श्री कालु गुर्जर नि0 कान्याखेडी तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 20.05.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूँ—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक **05.07.2023** को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम कान्खाखेडी प.ह. खैराबाद भू.अ.नि. खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 50 की आ.न. 219 रकबा 0.8093 है0, आ.न. 221 रकबा 0.4932 है0, आ.न. 549/221 रकबा 0.0759 है0 कुल किता 03 रकबा 1.3784 है0 भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक **10.07.2023** को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 लगायत 16 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

Scanned with ACE Scanner

–::आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम कान्खाखेडी प.ह. खैराबाद भू.अ.नि. खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 50 की आ.न. 219 रकबा 0.8093 है0, आ.न. 221 रकबा 0.4932 है0, आ.न. 549/221 रकबा 0.0759 है0 कुल किता 03 रकबा 1.3784 है0 है0 भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 600/–पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/–रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 20.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

Scanned with ACE Scanner